न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 06 / 2023

मिर्जा खलीक उल्ला बैग एडवोकेट अदालत परिसर टोंक जिला टोंक राज0

---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक ---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 14.06.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 23.01.2023 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

1 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा दिनाक 08.02.2022 को केम्प के दिनाक कितने दावे राजीनामे के अन्तर्गत निस्तारण किये गए,दावो का उनवान के नाम कि जानकारी उपलब्ध कराये।

2 पेशी रजिस्टर कि दिनाक 05.04.2022, 20.06.2022, 19.09.2022, 18.10.2022, की नकल।

3 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय टोंक दिनाक 05.04.2022, 20.06.2022, 19.09. 2022, 18.10.2022 को कोर्ट मे वादो कि सुनवाई की थी या नही यदि कोर्ट मे नही बैठे तो किस कार्य मे व्यस्थ थे जानकारी उपलब्ध कराये

4 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा माह अप्रेल, जून, सितम्बर, अक्टूबर कि वादो के निस्तारण से सम्बन्धित जानकारी जो उच्चाधिकारी को भेजी जाती है उसकी नकले।

5 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय टोंक का आवटित वाहन कि वर्ष जनवरी 2022 से दिसम्बर 2022 तक लॉक बुक की नकल ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को पत्र कमांक 390 दिनाक 02.03.2023, 423 दिनांक 21.03.2023 व 436 दिनाक 05.04.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक द्वारा आज दिनांक तक जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक